संख्याः 1973/77–6–23–03(पीएसपी/जेएसडब्ल्यू)/2023

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
जेएसडब्ल्यू नियो एनर्जी लिमिटेड,
जेएसडब्ल्यू सेन्टर,
बांद्रा कुर्ला काम्प्लैक्स,
बांद्रा (ईस्ट), मुम्बई–400051

औद्योगिक विकास अनुभाग–6 **लखनऊ : दिनांक 25 मई, 2023**

विषयः जनपद सोनभद्र में 1200 मेगावाट क्षमता का पंप स्टोरेज पावर प्लांट परियोजना की सैद्धांतिक अनुमति विषयक।

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 11.04.2022 का संदर्भ लें। आपने उक्त पत्र के माध्यम से सोनभद्र जनपद, उत्तर प्रदेश के ग्राम शाशनाई एवं मर्कुरी में 1200 मेगावाट का ऑफ–स्ट्रीम पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। आपके उक्त प्रस्ताव के क्रम में दिनांक 06.05.2023 को शासन में प्रस्तुतीकरण किया गया। उक्त प्रस्तुतीकरण बैठक का कार्यवृत्त दिनांक 15.05.2023 निर्गत किया गया है। प्रस्तुतीकरण के दौरान योजना के सम्बन्ध में निम्न तथ्यों से अवगत कराया गया :–

2. पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट (PSP)

"पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट" एक क्लीन, ग्रीन एवं सेफ प्रोजेक्ट है। पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट को वाटर बैटरी भी कहा जाता है। पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट द्वारा फर्म, फ्लैक्सीबल तथा डिस्पैचेबल पावर का उत्पादन किया जाता है। परियोजना की लाईफ 40–50 वर्ष है। यह परियोजना गैर प्रदूषणकारी है तथा इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है। पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट, मेन रीवर स्ट्रीम पर नहीं होने की वजह से रिवराईन इकोसिस्टम (riverine ecosystem) को परिवर्तित/डैमेज नहीं करता है। परियोजना में अप–फ्रन्ट कॉस्ट कम है तथा स्टोरेज की लागत भी कम है। पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट में कन्वेंशनल रूप से अपर एवं लोअर रिजरवायर (Upper and Lower Reservoir) दोनों रीवर स्ट्रीम पर होते हैं। ऑफ स्ट्रीम पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट में एक श्रेणी ओपेन लूप की होती है, जिसमें एक रिजरवायर मेन रीवर सिस्टम पर होता है और दूसरा रीवर स्ट्रीम से अलग होता है। क्लोज लूप पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट में अपर एवं लोअर रिजरवायर दोनों ही रीवर कोर्स से अलग होते हैं। पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट में एक्सेस/रिन्युएवल/सस्ती एनर्जी होने के समय पानी को अपर रिजरवायर (Upper Reservoir) में पम्प किया जाता है। विद्युत की डिमाण्ड ज्यादा होने तथा विद्युत महँगा होने के समय में पानी को अपर रिजरवायर से लोअर रिजरवायर में ले जाकर बिजली जनरेट की जाती है। अतः पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट्स पीक डिमांड के समय विद्युत उत्पादन करती है और पानी अपर रिजरवायर में स्टोर करने का काम जब विद्युत सस्ती होती है तब करती है।

3. पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट पर चर्चा की गयी तथा इस विषय पर विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 10.04.2023 को निर्गत Guidelines to Promote Development of Pump Storage Projects

(PSP)- regarding. के प्राविधानों पर चर्चा की गयी। उक्त गाईडलाइन के पैरा–3, 3.1, (iv) में Self-Identified off-stream Pumped Storage Projects के सम्बन्ध में निम्नवत् प्राविधान है :–

"... In addition to the above methods, developers may also self-identify potential off-stream sites where PSPs can be constructed. Since these sites are away from the riverine system and do not utilize the natural resources like river streams, allotment from State Governments would not be required for the development of PSP projects on such sites. Further, all statutory clearances need to be obtained from State and Central agencies before starting construction. It will help in harnessing the off-stream potential in the country at a faster pace. Projects developed in such a manner would be provided all concessions mentioned in these guidelines, subject to the directions issued by the Government from time to time. "

4. पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट के सम्बन्ध में मेसर्स जेएसडब्ल्यू नियो एनर्जीज द्वारा दिनांक 25.11.2022 को प्रदेश सरकार के साथ एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किया गया है। कम्पनी द्वारा पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट के लिए स्थल चयन कर सर्वेक्षण/डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (Detail Project Report) बनाने आदि का कार्य किया जा रहा है। कम्पनी का यह अनुरोध है कि पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट के स्थल के विषय में काफी विस्तृत सर्वेक्षण करना होता है तथा डी0पी0आर0 आदि बनाने में काफी ज्यादा समय व संसाधन लगता है, इसलिए इन प्रोजेक्ट्स को विकसित करने के पूर्व किए जा रहे सर्वेक्षण आदि के कार्य क़े लिए कम्पनी के आवेदन के अनुसार राज्य सरकार द्वारा एक पत्र निर्गत किया जाए ताकि एक साईट पर एक से ज्यादा कम्पनियॉं सर्वेक्षण आदि का कार्य न प्रारम्भ करें और इस तरह के किसी ओवर लैपिंग से बचा जा सके।

5. <u>जे.एस.डब्ल्यू. नियो एनर्जी कम्पनी के परियोजना का विवरण:</u>

कम्पनी द्वारा कंधौरा पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट, सोनभद्र जनपद में प्रस्तावित किया गया है। कम्पनी ने यह अवगत कराया है कि पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट के 7,500 मैगावाट के एम0ओ0यू0 कम्पनी द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों के साथ हस्ताक्षरित किए गए हैं, जो निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। जे.एस.डब्ल्यू. कुल 12 राज्यों में 17,000 मैगावाट का पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट बनाना चाहता है। प्रस्तावित प्रोजेक्ट 1200 मैगावाट की है, जिसकी लागत रू. 5,530 करोड़ आंकलित की गयी है। प्रोजेक्ट में 600 लोगों को सीधा रोजगार मिलेगा तथा अप्रत्यक्ष रूप से 1200 लोग कार्य करेंगे।

6. परियोजना में Preliminary Feasibility Report तैयार कर ली गयी है तथा पी0एफ0आर0 दिनांक 19.04.2023 को सी.ई.ए. को सम्मिट किया गया है। जल के एलाटमेंट के लिए दिनांक 03. 04.2023 को आवेदन पत्र स्टेट वाटर रिसोर्सेज एजेंसी, उत्तर प्रदेश शासन को दिया गया है। इन्वायरमेंट क्लीयरेंश एवं फॉरेस्ट क्लीयरेंश के लिए कार्यवाही प्रचलित है।

7. प्रोजेक्ट में जनपद सोनभद्र के राबर्ट्सगंज तहसील के शाशनाई गॉव तथा मर्कुरी गॉव शामिल हैं। शाशनाई में लोअर रिजरवायर तथा मर्कुरी में अपर रिजरवायर प्रस्तावित है। परियोजना स्थल को गूगल मैप पर प्रदर्शित किया गया।

8.. पीक ऑपरेशन का ड्यूरेशन 8.87 घण्टा प्रस्तावित है। कम्पनी द्वारा वर्ष में 3692 एम0यू0 विद्युत का उत्पादन किया जाएगा और पम्पिंग के लिए 4516 एम0यू0 विद्युत का उपयोग किया जाएगा, जो कि 81.70 प्रतिशत साईकिल इफिसियेंशी (Cycle Efficiency) है।

9. परियोजना हेतु कुल भूमि की आवश्यकता 683.03 हे0 बतायी गयी है, जिसमें 533.79 हे0 वन भूमि है तथा 149.24 हे0 गैर वन भूमि है। प्रस्तावित परियोजना क्लोज्ड लूप पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट (Closed Loop Pumped Storage Project) है, इसलिए कन्जम्टिव यूज (Consumptive use) जल का नहीं है और रिजरवायर को एक बार भरने के लिए जल की आवश्यकता होगी। जल की आवश्यकता 18 एमसीएम (0.64 टीएमसी) बतायी गयी है। जो मानसून सीजन के सरप्लस फ्लो से लिए जाने का प्रस्ताव है। रिजरवायर से यह ऑपरेशन लॉस को कम्पनसेट करने के लिए प्रति वर्ष 3.243 एमसीएम जल की आवश्यकता होगी, जो कि परियोजना के कैचमेंट एरिया (catchment area) में हुए वर्षा से पूर्ण की जाएगी। वर्षा न होने की दशा में यह Annual Recoup सोन नदी से किया जाना प्रस्तावित है।

10. शासन स्तर पर आहूत बैठक दिनांक 06.05.2023 में अवधारित मत के क्रम में फर्म द्वारा जनपद सोनभद्र के ग्राम शाशनाई एवं मर्कुरी में स्थापित की जा रही 1200 मेगावाट क्षमता की पंप स्टोरेज पावर प्लांट परियोजना की निम्नवत शर्तों के अधीन एतदद्वारा सैद्धान्तिक अनुमति प्रदान की जाती है–

1. जेएसडब्ल्यू नियो एनर्जी लि. द्वारा प्री–फिजिबिलिटी रिपोर्ट/विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करके इन्वेस्ट यूपी एवं उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (UP New & Renewable Energy Development Agency) के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
2. उक्त परियोजना हेतु जेएसडब्ल्यू नियो एनर्जी लि. द्वारा स्वयं की लागत एवं व्यय पर निजी समझौते एवं यथावश्यकता उत्तर प्रदेश सरकार की सहायता से भूमि का अधिग्रहण प्रारम्भ किया जा सकता है।
3. राज्य सरकार सोन नदी से आवश्यक जल आवंटन की प्रक्रिया के साथ–साथ वार्षिक पुनर्भरण (Recouping) के प्राविधान को सुगम बनाएगी। यद्यपि, जल निकासी की अनुमति केवल बाढ़ की ऋतु में तथा उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग तथा केंद्रीय जल आयोग के अनुमोदनोपरान्त प्रदान की जाएगी।
4. राज्य सरकार द्वारा जेएसडब्ल्यू नियो एनर्जी लि. की उक्त परियोजना के कार्यान्वयन हेतु केंद्र/राज्य सरकार की प्रचलित/वर्तमान नीतियों/नियमों/योजनाओं के अनुसार आवश्यक स्वीकृतियों/अनुमोदनों को प्राप्त करने में सहायता की जाएगी। इस प्रकार की समस्त स्वीकृतियों/अनुमोदनों को प्राप्त करने हेतु इन्वेस्ट यूपी को सूचित करते हुए विभिन्न सम्बन्धित विभागों/प्राधिकरणों में आवेदन प्रस्तुत करने का पूर्ण उत्तरदायित्व जेएसडब्ल्यू नियो एनर्जी लि. का होगा।
5. जेएसडब्ल्यू नियो एनर्जी लि. द्वारा उ.प्र. औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2022 के अन्तर्गत प्राविधानित प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए निर्धारित किए गए नियमों एवं प्रारूपों के अनुसार अपना आवेदन इन्वेस्ट यूपी में प्रस्तुत किया सकता है। इन्वेस्ट यूपी द्वारा नीति के प्राविधानों एवं तत्क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेशों के अनुसार आवेदन पर कार्यवाही की जाएगी।
6. जेएसडब्ल्यू नियो एनर्जी लि. द्वारा सीएसआर (Corporate Social Responsibility) के प्रचलित नियमों के अनुसार स्थानीय रूप से आस–पास के क्षेत्रों के लाभ के लिए सीएसआर के अंतर्गत गतिविधियों का संचालन किया जाएगा।

7. परियोजना का विकास–इस विषय पर विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 10.04.2023 को निर्गत Guidelines to Promote Development of Pump Storage Projects (PSP) के प्राविधानों के अधीन होगा।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ऊर्जा/वन/राजस्व/सिंचाई विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू0पी0
4. मण्डलायुक्त, मिर्जापुर।
5. निदेशक, यूपीनेडा।
6. जिलाधिकारी, सोनभद्र।
7. प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा/सोनभद्र।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जय वीर सिंह)
संयुक्त सचिव।